

“प्रस्ताव का विस्तृत विवरण”

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम तराई माल, ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला से निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट कैप्टिव पावर प्लांट हेतु पानी सप्लाई के लिए लगभग 2 कि.मी. पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि के व्यपर्तन का प्रस्ताव ।

यह प्रस्ताव 0.117 हे. वन भूमि के व्यपर्वतन का है, जो मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम तराई माल, ब्लॉक तमनार जिला रायगढ़ द्वारा गेरवानी नाला नैसर्गिक स्रोत से पानी ले जाने हेतु लगभग दो किमी. पाइप लाइन बिछाने हेतु है। उक्त पानी का उपयोग निकट में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वाट कैप्टिव पावर प्लांट में किया जावेगा।

केन्द्र शासन द्वारा भूमि के निचे के पानी उपयोग पर रोक के कारण छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा अपने पत्र क्रमांक (पृष्ठांकित) 2576/342/जसं/तथा/औ ज प्र/05/डी-4 अटल नगर दिनांक 20/06/2019 द्वारा गेरवानी नाका के नैसर्गिक स्रोत से पानपी के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है। गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु लगभग 2 किमी पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता होगी। इस नाले भी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कि पाइप लाइन ले जाने हेतु वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पाइप लाइन बिछाने हेतु न्यूनतम वन भूमि के व्यपर्वतन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य जगहों से पाइप लाइन ले जाने हेतु सर्वे कराया गया है, जिसमें और अधिक वन भूमि एवं राजस्व भूमि को आवश्यकता होगी, एवं पाइप लाइन बिछाने का खर्च भी अत्यधिक होगा। इस प्रकार न्यूनतम वन भूमि पर्वतन का प्रस्ताव दिया गया है।

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

अतिरिक्त जानकारी :-

(अ) रजिस्ट्रेशन फीस :- रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 6000/- चेक नंबर 005790 दिनांक 08.04.2019 एवं प्रोसेसिंग फीस रुपये 29000/- चेक नं. 005789 दिनांक 08.04.2019 को वनमण्डल रायगढ़ कार्यालय में जमा किया जा चुका है।

(ब) Justification for Location the Project in forest land and non-avridance of forest land for present professional.

गेरवानी नाला के नैसर्गिक जल को प्लांट तक ले जाने हेतु लगभग 2 कि.मी. पाइप लाइन बिछानी पड़ेगी जिसके लिए केवल 0.117 हे. वन भूमि जिसमें 0.078 हे. आरक्षित वन एवं 0.039 हे. नारंगी क्षेत्र (राजस्व वन भूमि) के व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी, गेरवानी नाले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कि पाइप लाइन ले जाने हेतु वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य रास्तों से पाइप लाइन के जाने हेतु अधिक वन भूमि एवं राजस्व भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। प्रस्तावित पाइप लाइन ही सबसे उचित मार्ग है, जिसमें न्यूनतम वन भूमि की आवश्यकता है।

(स) वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित DGPS रिपोर्ट :-

छत्तीसगढ़ शासन माइनिंग विभाग में इम्पलेन (Empanel) में से कम्प्यूटर प्लस (साफ्टवेयर डवलपमेंट कन्सलटेंसी) रायपुर द्वारा DGPS सर्वे कराकर वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ से सत्यापित करा कर प्रस्तुत है। (संलग्न DGPS सर्वे रिपोर्ट)

(द) FRA सर्टिफिकेट :-

कलेक्टर रायगढ़ से FRA सर्टिफिकेट प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न है।

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(य) राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र) के व्यपवर्तन हेतु कलेक्टर का आनापत्ति प्रमाण पत्र :-

इस प्रकार में 0.039 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र) के व्यपवर्तन का प्रस्ताव है। अतः कलेक्टर रायगढ़ से राजस्व वन भूमि (नारंगी क्षेत्र) के व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर के पत्र क्रमांक/846/स.श्र.मू.क./2020 रायगढ़ दिनांक 16.07.2020 प्राप्त कर संलग्न है।

(र) Total land schedule of profrosal of the Division of 0.117 Rest. Forest law is given below :-

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. के स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वे. कैप्टिव पावर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी के जाने हेतु लगभग 2 कि. मी. पाइप लाइन बिछाने हेतु आवश्यक वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

आवश्यक वन भूमि का विवरण :-

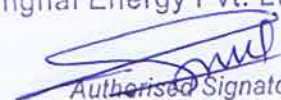
S. No.	Divisional and District	Rang	Village name	Law Type	Compt. No.	Area (in. het.)
1	Raigarh	Tammar	Tammar	Reseve forest	834	0.078
2	Raigarh	Tammar	Ujalpur	Orange And	815	0.039
					TOTAL	0.117

आवश्यक राजस्व भूमि का विवरण :-

क्रं.	ग्राम तहसील एवं जिला का नाम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित रकबा हे.
1	ग्राम-तराई माल तह. व जिला - रायगढ़	--	0.275
		कुल -	निजी भूमि 0.275 हे.

हस्ताक्षर

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.


Authorised Signatory